# महिला अधिकार : समस्याएँ एवं संभावनाएँ

***डॉ0 (श्रीमती) संगीता दुबे**

**नारी! तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास–रजत–नग पग तल में,**
**पीयूष –स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में।[1]**

सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों के आलोक में नारी वास्तव में पीयूष स्रोत ही है जिसके कारण ही भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार के विषाणुओं के बावजूद धरा कायम है और विकास–पथ पर अग्रसर है। महिला एवं पुरूष विकास रूपी रथ के दो पहिए हैं। कौन सा पहिया छोटा है और कौन सा बड़ा यह निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भी कहा था कि "मैं स्त्री–मुक्ति के पक्ष में हूँ ठीक उसी तरह जिस तरह मैं किसी पुरूष स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ। स्त्री–पुरूष कन्धे से कन्धा मिलाकर ही एक बेहतर समाज और विश्व का निर्माण कर सकते हैं।" महिलाएँ भी राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना पुरूष। यही कारण है कि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़े बिना किसी भी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि "....महिलाओं के विचार, कार्यशैली एवं मूल्य–पद्धति बेहतर परिवार, समाज और राष्ट्र–निर्माण में महत्वपूर्ण हैं।" प्रसिद्ध यूनानी चिन्तक प्लेटो भी नारियों की मुक्ति एवं समानाधिकार के समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने आदर्श राज्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को कम महत्वपूर्ण नहीं माना है।[2]

वस्तुतः किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति एवं समाज की मुख्यधारा में उनकी भूमिका उस समाज के विकास की द्योतक होती है। इसी कारण पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि "महिलाओं की स्थिति उस देश के स्वरूप को निश्चित करती है।" अर्थात् जिस समाज में महिलाओं का स्थान जितना ही उच्च होगा, विशेषकर पुरूषों की तुलना में उनके गौरव, सम्मान, अवसर तथा अधिकार का स्तर जितना ही बेहतर होगा वहाँ महिलाओं की स्थिति उतनी ही सष्दष्ढ़ होगी और वह राष्ट्र उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसी तथ्य को इंगित करते हुए मुनुस्मृति में भी कहा गया है कि –

**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।**
**यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। [3]**

भारतीय समाज में अन्य विकसित एवं विकासशील देशों की भाँति ही महिलाओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक काल में स्त्री एवं पुरूष की स्थिति में समानता थी। इस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति पूज्यनीय थी। उस समय स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। उन्हें वेदों के अध्ययन की आज्ञा थी। वे राजनीतिक निर्णय लेने एवं सलाह देने में सक्षम थीं। महिलाओं को हिन्दू समाज में अपनी शक्ति एवं सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता था। नारी को गष्हस्वामिनी एवं सौभाग्य का वर्द्धन करने वाली माना गया है–

**गष्हणामि ते सौभागत्वाम हस्तं, मया पत्या जरदष्टिर्यथासः।**
**भगो अर्यमां सविता पुरन्धिध्र त्वा दुर्गाहं पत्यायदेवा।।[4]**

नारी को परिवार, समाज एवं राष्ट्र की नींव माना जाता था। उस युग की अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, अदिति, विश्वम्भरा, गार्गी, मैत्रेयी, आदि, विदुषी महिलाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। उस समय की नारियाँ जहाँ ब्रह्मवादिनी बनकर आध्यात्मिक चेतना से मानव–हित साधन करती थीं, वहीं आवश्यकता पड़ने पर युद्धक्षेत्र में भी पीछे न रहकर अपनी वीरता

*एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिविज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

एवं साहस का प्रदर्शन करती थीं।[5] इस प्रकार वैदिक काल में नारी की स्थिति सशक्त थी और वह आन्तरिक एवं बाह्य दोनों कार्यक्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर गृह–संचालन के साथ–साथ प्रशासन, न्याय, युद्ध, धार्मिक, शैक्षणिक, इत्यादि, सभी क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम योगदान देती रहीं।

इसके पश्चात् धर्मशास्त्र काल आया। ईसा के पश्चात् तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का काल धर्मशास्त्र काल माना जाता है। इस काल में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन बढ़ा और विधवा–पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गयी। धर्मशास्त्र काल के बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय ह्रास हुआ। इस काल में हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया।[6] धीरे–धीरे पुरूषों की स्वार्थपरकता के कारण स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी। उनकी स्वतंत्रता तथा अधिकार छीन लिए गए। कुप्रथाओं के आगमन से स्त्री घर की चारदीवारी में कैद हो गयी।

ब्रिटिश काल में कुछ सुधारवादी समाज सेवकों द्वारा महिला अधिकारों एवं कुप्रथाओं से मुक्ति के लिए सुधार आंदोलन किए गए। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, आदि जैसे कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों ने नारी की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों में चेतना जागृत करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। मारग्रेट नोबल और मारग्रेट कुशनस जैसी समाज सुधारक महिलाओं ने अपने प्रयासों से सन् 1917 में मद्रास में ''भारतीय महिला समिति'' का गठन किया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था एवं कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट का गठन किया गया[7] जिसके फलस्वरूप महिलाओं में जागरूकता की भावना आयी। अनेक अंग्रेज महिलाओं ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया जिनमें श्रीमती व्हीलर, श्रीमती ब्रैन्डर एवं कुमारी ब्रुक के नाम प्रमुख हैं।[8]

श्रीमती एनी बेसेन्ट एवं सरोजिनी नायडू के अथक प्रयासों से सन् 1920 ई0 में महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया। महात्मा गाँधी के आह्वान पर सन् 1930 में हजारों महिलाएँ नमक आंदोलन में सहभागी बनीं। गांधी जी स्त्री–पुरूष समानता के समर्थक थे तथा उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने हेतु प्रेरित किया। स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा, अरूणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित और उषा मेहता जैसी महिलाओं ने भारत को आजादी दिलाने में जीवन पर्यन्त योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरागंनाओं ने अपने अद्भुत साहस से अंग्रेजों से लोहा लिया। नलिनी सेन गुप्ता, डा0 लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गाँधी, सुचेता कष्पलानी, राजकुमारी अमृत कौर जैसी साहसी महिलाएँ विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करती रहीं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतुलनीय योगदान देती रही हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं को समानता का स्तर प्रदान करने के उददेश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 14 में निहित समता के मूल अधिकार का हनन संविधान के आधारभूत ढाँचे का अतिक्रमण है।[9] इस प्रकार समानता के अधिकार के अर्न्तगत महिलाओं के साथ विभेद का निषेध किया गया है। *काठी रेनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य*[10] **के** मामले में विभेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि ''विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है।'' यही नहीं अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं के लिये विशेष उपबन्ध करने की व्यवस्था दी गयी जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्राकृतिक दशा का पुरूषों से भिन्न होना है। महिलाओं की प्राकृतिक एवं स्वाभाविक दशा ही ऐसी होती है कि उनके लिए विशेष संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जैसा कि *मूलर बनाम ओरेगन*[11] के मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा कहा गया है कि ''अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते हैं। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उददेश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।'' इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गयी और कहा गया कि नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में मात्र महिला होने के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। नियुक्ति अथवा

नियोजन संबंधी ऐसी कोई अयुक्तियुक्त शर्त भी नहीं रखी जायेगी जो किसी को मात्र महिला होने के आधार पर नियोजन अथवा नियुक्ति से वंचित कर दे। इसी आधार पर *एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा* [12] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस नियम को अवैध कर घोषित कर दिया जिसमें विमान सेवा परिचारिकाओं को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा उनके प्रथम बार गर्भवती हो जाने पर उन्हें सेवा–निवष्त्त करने का उपबन्ध था। न्यायालय ने इसे विभेदकारी मानते हुए कहा कि पुरूष को 45 वर्ष की आयु में और महिला को 35 वर्ष में सेवानिवष्त्त करना एक मनमानी व्यवस्था है।

इसी संदर्भ में नारी स्वतंत्रता के लिए एक और कल्याणकारी व्यवस्था *' समान कार्य के लिए समान वेतन'* की है। यह प्रायः सुनिश्चित सा हो गया है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरूषों के समान ही वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता है; जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने *उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद् बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश* [13] के मामले में भी कहा । इस मामले में समान कार्य के लिये पुरूष एवं महिला शिक्षकों के वेतन में भिन्नता को चुनौती दी गयी थी। समान पद पर समान कार्य करने वाले पुरूष शिक्षकों को महिला शिक्षकों से अधिक वेतन दिया जाता था। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक मानते हुए महिला शिक्षकों को भी पुरूष शिक्षकों के समान वेतन दिए जाने के आदेश दिए।

वस्तुतः संविधान निर्माण के समय भारत में महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय थी। महिलाएँ न केवल पुरूषों पर आश्रित थीं बल्कि बाल–विवाह, बहु–विवाह, दहेज, आदि, कुरीतियों की शिकार भी थीं। अतः महिलाओं को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए संविधान में विशेष प्राविधान किए गए एवं समय–समय पर विभिन्न अधिनियम बनाकर स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए। 1955 ई0 के हिन्दू विवाह अधिनियम में स्त्री एवं पुरूषों को विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गये। बाल–विवाह समाप्त हुआ और स्त्रियों को पष्थक्करण, विवाह–विच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकषति प्राप्त हुई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; स्त्री तथा कन्या अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956; हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956; दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961; बंधिक श्रम–पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976; प्रसूति प्रलाभ अधिनियम, 1961; सती (निवारण) अधिनियम, 1987, आदि,[14] ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने भी भारतीय महिलाओं की स्थिति को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने महिलाओं के विकास के रास्ते खोल दिये। आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर प्राप्त हैं। मानव संसाधन में आधा भाग महिलाओं का है। आज वे बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा, विधि, विज्ञान, वाणिज्य, औषधि, अन्तरिक्ष एवं अभियांत्रिकी, इत्यादि क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। भारत सरकार का विज्ञान और तकनीकी विभाग महिलाओं के जीवन–स्तर को ऊँचा उठाने के लिए तथा कार्य की एकरसता को समाप्त करने के लिए उन्हें आय बढ़ाने, स्वास्थ्य में सुधार करने, स्वच्छता और सफाई, पर्यावरण प्रशिक्षण, आदि, क्षेत्रों में प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में ईंधन और भोजन बनाने की व्यवस्था परियोजनाएँ, सौर उर्जा उपयोग, गोबर गैस, धुंआँ रहित चूल्हा तथा ईंधन वाले पेड़ों को उगाने की परियोजनायें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में महिला स्वैच्छिक संगठनों को संलग्न किया गया है। इन स्वैच्छिक संगठनों ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ मिलकर हैंडपम्प, कम कीमत के प्रसाधन, घरेलू मदद का सामान, उर्जा और ईंधन बचाने के उपकरण, फल और भोजन को डिब्बा–बंद करने के कार्यक्रम, इत्यादि, अपनाये हैं। यह माना जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को शामिल करने से उनके जीवन में नीरसता समाप्त हो जायेगी ओर जीवन आरामदायक हो जायेगा तथा कुछ समय भी बचेगा जिससे वह स्वयं का कुछ विकास कर सकेंगी।

वर्तमान में भारतीय समाज निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन द्वारा शासन के निचले स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायती–राज व्यवस्था में एक–तिहाई महिला आरक्षण दिया गया। 09 मार्च, 2010 को राज्य–सभा में 15 वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण बिल पारित किया गया जिससे महिला अधिकारों के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। भारत में स्त्रियों की उन्नत दशा का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भी अभी तक किसी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ जबकि

भारत में श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर आसीन रही हैं। यही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को सेना में भी स्थाई कमीशन का फैसला दे दिया है जो एक बड़ी चुनौती थी और अब बार्डर पर जाने की तैयारी है।[15] परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं पर हिंसा हो रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और वे ''निर्भया काण्ड'' जैसी दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग अधिकांशतः घूँघट की आड़ में पुरूष ही करते हैं। इसके लिये महिलाओं को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं को जागरूक बनाने का उद्देश्य है उनमें अधिकार, सम्मान, योग्यता, आत्म–विश्वास एवं आत्मनिर्णय जैसे गुणों का संवर्धन करना ताकि निर्णय लेने के अधिकार के साथ महिला आत्मविश्वासी बन सके। आर्थिक दर्ष्टि से आत्मनिर्भर महिला अपने अधिकारों का प्रयोग उचित ढंग से कर सकती है, किन्तु कामकाजी महिलाएँ भी समाज में दोहरे दायित्वों का निर्वहन करते हुए तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं।

वर्तमान में महिलाओं से संबंधित मुख्य समस्या यह है कि सामाजिक तथा आर्थिक विकास में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी कम है, इसका मुख्य कारण अशिक्षा एवं असमानता है जिसके कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। महिलाओं के कार्य करने की अवधि भी ज्यादा है; क्योंकि वे घर एवं बाहर (कार्य–स्थल) दोनों जगह कार्य करती हैं। अनेक स्थानों पर महिलाओं के कार्य एवं वेतन में भी असमानता है। साथ ही साथ हिंसा या दुर्घटना की शिकार महिलाओं के संबंध में पुलिस कार्यवाही भी संतोषजनक नहीं है। यही नहीं महिलाओं की कार्यक्षमता पर भी संदेह किया जाता है जिसके कारण उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है। नारी रोजगार से संबधित एक समस्या यह भी है कि आज भी पुरूष उनके साथ सहयोगी के भाव से काम करने की मानसिकता नहीं बना पाया है। औद्योगिकी के क्षेत्र में भी कार्य करने में स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या पुरूष प्रधानता की है।

अतः महिलाओं की बेहतर स्थिति एवं अधिकारों के उपभोग के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के लिए काम की बेहतर परिस्थितियाँ हों, कामकाजी महिलाओं के लिये काम के घंटों और छुट्टी, आदि में नरमी बरती जानी चाहिए। भारत में महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में कुछ रियायतें दिया जाना इसलिए आवश्यक है; क्योंकि यहाँ का सामाजिक ढाँचा इस प्रकार का है कि पुरूष घरेलू मामलों में अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। स्त्री का विकास स्त्री–पुरूष की सहभागिता से ही संभव है। अतः स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुरूष वर्ग को आगे आना होगा। आवश्यक है कि पति पत्नी की समस्याओं को समझे और घर के कार्यों में उसको मदद करे। बिना शर्म एवं संकोच के काम बाँटने के बजाय शेयर करे। महिला की सफलता के लिए जरूरी है कि उसका पार्टनर हमेशा उसके विचारों की कद्र करे और उसका सम्मान भी करे। पुरूष कार्यस्थल में या सार्वजनिक स्थानों पर अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रर्दशन न करें। महिलाओं के प्रति परिवार और समाज की सोच में बदलाव हो। हिंसा, यौन शोषण एवं अत्याचार पर कानून द्वारा त्वरित कार्यवाही हो। सभी कार्यक्षेत्रों में सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाये जायें एवं महिलाओं की कार्यक्षमता पर संदेह न किया जाये।

वस्तुतः भारतीय महिलाएँ विभिन्न कार्यक्षेत्रों में ऊँचाइयों को छूने के बाद भी समस्याओं से ग्रस्त हैं। समस्याओं का निदान केवल परिवार, समुदाय, समाज, सुरक्षा एजेन्सियों, नियोक्ता, प्रशासन एवं नीति–निर्माता के द्वारा नहीं हो सकता; बल्कि इसके लिये महिलाओं को स्वयं जागष्त करने की आवश्यकता है; क्योंकि नारी एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें सष्जन की चेतना सुषुप्त रहती है। सरकार सिर्फ प्लेटफार्म दे सकती है, आवाज स्वयं ही उठानी होगी। समाज को बदलना है तो खुद को भी बदलना होगा, तभी नारी अपनी कार्यक्षमता से असफलता के कीचड़ में सफलता का कमल खिला सकती है।

## सन्दर्भ–सूची


1. जयंशकर प्रसाद, कामायनी, प्रसाद प्रकाशन, प्रसाद मंदिर, गोवर्द्धनसराय, वाराणसी, 1985, पष्ठ संख्या 45.
2. प्लेटो, रिपब्लिक, बुक अण
3. मनुस्मषति, अध्याय तष्तीय, श्लोक 56, टीकाकार गणेश दत्त पाठक, श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भण्डार, कचौड़ी गली, वाराणसी, 2002, पष्ठ संख्या 95.

4. ऋग्वेद 10/85/96

5. ऋग्वेद 1/112/10, 1/118/8.

6. गुप्ता एम.एल., शर्मा डी. डी., समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृष्ठ सं0 313.

7. प्रो0 गुप्ता एम.एल., शर्मा डी.डी, समाज कल्याण एवं विधान परिषद्, पृष्ठ 178.

8. मैरी फ्रांसिस बिलिंगटन, वूमेन इन इण्डिया, प0 21–57.

9. जी.बी. पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, पन्तनगर, नैनीताल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 2695; इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 498.

10. ए0आई0आर0 1952 एस0सी0 123.

11. 12 एल0ए0 551.

12. ए0 आई0 आर0 1981 एस0 सी0 1829.

13. ए0आई0आर0 1992 एस0सी 1965.

14. महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार, सरल कानूनी ज्ञान माला–6, उत्तराखण्डराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड.

15. मुहाः रिसर्च जनरल हॉफ ईयरली, हिस्ट्री, वाल्यूम गपपप ए 2009, पृष्ठ 117-Top of Form